पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), 24 सितंबर, 2009
(2 अश्विन, 1931 शक)

भाग-।
विधि एवं विधायी कार्य विभाग, पंजाब
अधिसूचना
24 सितंबर, 2009

संख्या 19-विधायी/2009 – पंजाब राज्य की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को 8 सितंबर, 2009 को पंजाब के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई है तथा इसके द्वारा यह सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है :

पंजाब विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2009
(पंजाब अधिनियम सं. 2009 का 17)

अधिनियम

निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं बाधामुक्त परिवेश में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और सुगम बनाने के लिए और इस प्रकार आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से विशाल लाभांश प्राप्त करने के लिए तथा राज्य में क्षेत्रीय विकास के मजबूत प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तथा इससे संबंधित या इससे आनुषंगिक मामलों के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ विशाल आत्मनिर्भर औद्योगिक टाउनशिप प्रोत्साहित करने और स्थापित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए।

इसे भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :

संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ :

1. (1) इस अधिनियम को पंजाब विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।

परिभाषाएं :

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सुविधाओं'' में सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, सार्वजनिक कार्य, पर्यटन स्थल, खुले स्थान, पार्क, लैंड स्केपिंग तथा खेल के मैदान और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल हैं जिसे अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुविधा के रूप में घोषित कर सकती है;

(ख) "भवन'' में शामिल हैं, -

I. मकान, आउटहोम, कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान से संबंधित कार्यालय, भवन तथा अन्य सामाजिक अवसंरचना, अस्तबल, गोदाम, शेड, हटवाल तथा कोई अन्य संरचना जो चिनाई, ईंट, मड, वुड, मेटल या किसी अन्य सामग्री की हो;

II. पहियों पर खड़ी संरचना या नींव के बगैर भूमि पर टिकी संरचना;

III. शिप, वेजल, बोट, टैंट, वैन तथा मानव बस्ती के लिए प्रयुक्त या कोई वस्तु या माल रखने या भंडारित करने के लिए प्रयुक्त कोई अन्य संरचना; और

IV. उद्यान, मैदान, वाहन एवं अस्तबल, यदि कोई हो जो किसी भवन से संबद्ध हो जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थानिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए हो, वास्तविक प्रयोग में हो या न हो;

(ग) "भवन प्रचालन'' में पुनर्भवन के प्रचालन, भवनों में संरचनात्मक परिवर्तन या वृद्धि तथा भवनों के निर्माण के सिलसिले में सामान्यतया संचालित किए गए अन्य प्रचालन शामिल हैं;

(घ) "निदेशक'' का अभिप्राय उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, पंजाब से है;

(ङ) "अवसंरचना'' में औद्योगिक, वाणिज्यिक या सामाजिक या आवासीय अवसंरचना या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कोई अन्य सुविधा शामिल है;

(च) "भूमि'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्थित सुपर स्ट्रक्चर सहित किसी भूमि से है;

(छ) "अधिभोक्ता'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर किसी साइट या भवन का अधिभोक्ता है तथा इसमें उसके प्राधिकारी, वारिस तथा प्रशासक शामिल हैं;

(ज) "ऑफ जोन आपूर्तिकर्ता'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर स्थित किसी यूनिट से है जो विकासक, सह विकासक, अधिभोक्ता या निवासी को माल या सेवाएं या दोनों प्रदान करती है;

(झ) "प्रचालक'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना या कोई सुविधा प्रदान करने के लिए विकासक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) "योजना क्षेत्र'' का अभिप्राय किसी क्षेत्रीय योजना क्षेत्र, स्थानीय योजना क्षेत्र या पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर आयोजना विकास अधिनियम, 1995 (1995 का पंजाब अधिनियम, 1911) की धारा 56 के तहत इस रूप में घोषित किसी नए टाउन के लिए स्थल से है;

(ट) "निर्धारित'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(ठ) "परियोजना'' का अभिप्राय किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना से है जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र की संपोषणीयता के लिए आवश्यक कोई अन्य परियोजना शामिल है जिसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया है और सिफारिश की गई है;

(ड) "परियोजना अनुमोदन समिति'' का अभिप्राय धारा 3 के तहत गठित परियोजना अनुमोदन समिति से है;

(ढ) "धारा'' का अभिप्राय इस अधिनियम की किसी धारा से है;

(ण) "विशेष आर्थिक क्षेत्र'' का अभिप्राय वही होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम 28) में इसका अर्थ निर्धारित किया गया है;

(त) "यूनिट'' का अभिप्राय किसी उपक्रम या उसके भाग से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय का प्रचालन करने के लिए स्थान का अधिभोक्ता है जो विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित है; और

(थ) "मूल्य वृद्धि'' में ऐसी कोई गतिविधि शामिल है जो कुछ प्रक्रिया, शोधन और/या श्रम के फलस्वरूप किसी वस्तु या वस्तुओं में परिवर्तन लाती है तथा वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्य वृद्धि के साथ एक नई एवं भिन्न वस्तु में परिवर्तित होती है तथा इसमें पैकेजिंग भी शामिल होगी।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए और परिभाषित न किए गए परंतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम 28) में परिभाषित सभी अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके अर्थ निर्धारित किए गए हैं।

परियोजना अनुमोदन समिति का गठन

3. (1) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक समिति का गठन करेगी जिसे परियोजना अनुमोदन समिति कहा जाएगा।

(2) परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना इस प्रकार होगी, अर्थात :

(क)	मुख्य सचिव, पंजाब सरकार	अध्यक्ष

(ख)	वित्त आयुक्त, राजस्व तथा सचिव, पंजाब सरकार, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग	सदस्य
(ग)	वित्त सचिव, उत्पाद एवं कराधान तथा सचिव, पंजाब सरकार, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग	सदस्य
(घ)	प्रधान सचिव, पंजाब सरकार, वित्त विभाग	सदस्य
(ड.)	प्रधान सचिव, पंजाब सरकार, स्थानीय शासन विभाग	सदस्य
(च)	प्रधान सचिव, पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	सदस्य
(छ)	प्रधान सचिव, पंजाब सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
(ज)	सचिव, पंजाब सरकार, विद्युत विभाग	सदस्य
(झ)	सचिव, पंजाब सरकार, आवास एवं शहरी विकास विभाग	सदस्य
(ट)	सचिव, पंजाब सरकार, पर्यावरण विभाग	सदस्य
(ठ)	प्रबंध निदेशक, पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	सदस्य
(ड)	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	सदस्य सचिव

(3) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अध्यक्ष परियोजना अनुमोदन समिति के सदस्य के रूप में किसी अन्य अधिकारी को जिसे वह उपयुक्त समझे, सहयोजित कर सकते हैं।

परियोजना अनुमोदन समिति के कार्य

4. परियोजना अनुमोदन समिति (इसके बाद यहां आगे समिति कहा गया है) निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात:

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किसी प्रस्ताव को समिति अनुमोदित करेगी, संशोधित करेगी या अस्वीकार करेगी :

परंतु यह कि समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना क्षेत्र की विकास योजना या मास्टर प्लान के अनुसार होनी चाहिए;

परंतु यह भी कि विकासक से भूमि प्रयोग में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अपेक्षा नहीं होगी, यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत अपेक्षा के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करने की भी अपेक्षा नहीं होगी, जो प्रदान किया गया समझा जाएगा। तथापि, लेआउट जोन प्लान तथा भवन प्लान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराए जाएंगे।

2. **समिति का सदस्य सचिव भारत सरकार को समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा;**
3. **समिति ऐसे अंतराल पर जिसे यह आवश्यक समझे, परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगी।**

विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना

5. **राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा (2) के में निर्धारित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं तथा क्षेत्र की हद को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करेगी।**

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए आवेदन

6. **(1)** **विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र की पहचान करेगा और इस अधिनियम के साथ संलग्न फार्म में अनुमोदन के लिए निदेशक को आवेदन करेगा।**

(2) **आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक टिप्पणियों के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।**

(3) **संबंधित विभाग निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्ताव के संबंध में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा। यदि निर्धारित अवधि के अंदर विभाग द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, तो यह समझा जाएगा कि विभाग द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है।**

(4) **संबंधित विभाग से टिप्पणियां प्राप्त होने पर या उपधारा (3) में उल्लेख के अनुसार प्रस्ताव को अनुमोदित समझे जाने पर निदेशक प्रस्ताव को विचार के लिए परियोजना अनुमोदन समिति के पास भेजेगा।**

(5) **उपधारा (4) के तहत निदेशक द्वारा भेजा गया प्रस्ताव प्राप्त होने पर परियोजना अनुमोदन समिति प्रस्ताव पर विचार करेगी और प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र**

स्थापित करने की आवश्यकता के औचित्य का उल्लेख करते हुए परियोजना के अन्य आर्थिक पहलुओं की लाभप्रदता की जांच करेगी।

(6) यदि परियोजना अनुमोदन समिति विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्ताव उचित है, तो वह उसे अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगी, यदि भूमि जिस पर परियोजना का विकास किया जाना है, विकासक के कब्जे में नहीं होगी। यदि विकासक के कब्जे में भूमि जिस पर परियोजना का विकास किया जाना है, में है, तो परियोजना अनुमोदन समिति औपचारिक अनुमोदन प्रदान करेगी।

(7) उपधारा (6) के तहत परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद निदेशक ऐसी शर्तों एवं नियमों जो परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, के अधीन केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि

7. (1) राज्य सरकार स्वयं द्वारा अधिग्रहीत, नियंत्रित या स्वामित्व वाली भूमि विकासक को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार और राज्य सरकार की नीति के अनुसार अंतरित कर सकती है।

(2) विकासक क्रय, पट्टा या अन्यथा द्वारा निजी पक्षों से स्वतंत्र रूप से भूमि का अधिग्रहण कर सकता है।

विकासक के कर्तव्य एवं कार्य

8. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एसईजेड में अवसंरचना एवं सुविधाओं की स्थापना, निर्माण, संस्थापन, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रावधान करना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना विकासक का कर्तव्य होगा।

(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर विकासक निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात :

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र की विकास योजना ऐसे ढंग से तैयार करना जो निर्धारित किया जा सकता है;

(ख) अनुमोदित योजना के अनुसार मुक्त व्यापार एवं गोदाम क्षेत्र, आवासीय एवं अन्य प्रयोजनों सहित वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए स्थल निर्धारित करना और विकसित करना;

(ग) वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय या अन्य प्रयोजनों के लिए बिक्री या पट्टा या आवंटन के रूप में भूखंड, भूमि, भवन या संस्थापन आवंटित और अंतरित करना;

(घ) विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित भवन योजना के अनुसरण में उद्योगों की स्थापना तथा भवनों के निर्माण को विनियमित करना;

(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उसके किसी भाग की सीमा निर्धारित करना और सीमांकन की संरचनाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण करना;

(च) बिक्री, पट्टा या आवंटन के माध्यम से भवन, भूमि या संस्थापन के अंतरण के लिए दरें निर्धारित करना; और

(छ) ऐसे अन्य कार्य करना जो समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई सुविधा एवं अवसंरचना प्रदान करने, अनुरक्षित करने या जारी रखने के लिए विकासक किसी भूमि, भवन, संस्थापन या किसी अन्य अवसंरचना के संबंध में उसके प्रयोक्ता या अधिभोक्ता पर ऐसे प्रभार लगा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

विकासक द्वारा अवसंरचना या सुविधा के लिए प्रावधान

9. (1) विकासक अवसंरचना या सुविधा प्रदान करने के लिए कोई ऑफ जोन आपूर्तिकर्ता, प्रचालक या कोई अन्य व्यक्ति तैनात कर सकता है।

(2) जहां कोई अवसंरचना या सुविधा प्रदान की जाती है, विकासक को इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के प्रयोग के लिए प्रभार लगाने की शक्ति होगी।

(3) विकासक सेवाओं के प्रयोग के लिए प्रभार का संग्रहण करने की शक्ति अवसंरचना या सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(4) विकासक या ऑफ जोन आपूर्तिकर्ता, प्रचालक या कोई अन्य व्यक्ति जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को प्रभारों का भुगतान करेगा, यदि ऐसे प्राधिकरण द्वारा अवसंरचना संपर्क या अनुरक्षण सेवाएं प्रदान की जाती है।

(5) विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

विद्युत का उत्पादन एवं आपूर्ति

10. (1)

(क) **विकासक या सह विकासक को विशेष आर्थिक क्षेत्र में खपत के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में या बाहर विद्युत का उत्पादन करने की अनुमति होगी;**

(ख) **विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिटों को व्यक्तिगत रूप में या समूह में स्वयं के उपभोग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में या बाहर विद्युत का उत्पादन करने की अनुमति होगी; और**

(ग) **विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिटों को व्यक्तिगत रूप में या समूहों में उपभोग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में पहुंचायी गई बिजली तथा जेनरेटर से सीधे ओपन अक्सेस के माध्यम से विद्युत का क्रय करके विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति होगी तथा यह ऐसे भुगतान के अधीन होगी जो ओपन अक्सेस तथा विद्युत पहुंचाने के लिए अपेक्षित हो सकता है।**

(2) **विशेष आर्थिक क्षेत्र में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की बिक्री के लिए विद्युत टैरिफ पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ऐसी दर पर प्रभारित किया जाएगा जो वर्ष दर वर्ष आधार पर पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।**

(3) **विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासक या सह विकासक या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिटों का कोई संघ, जब तक विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केंद्रीय अधिनियम 36) के तहत छूट न प्राप्त हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर या उसके भाग (भागों) में विद्युत के वितरण के लिए वितरण लाइसेंस या फ्रेंचाइजी प्राप्त कर सकता है।**

(4) **भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के तहत संस्थापन एवं उपकरण सहित विद्युत प्रणाली की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं के विनियमन के लिए विकास आयुक्त या उनका नामिती विद्युत निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा।**

(5) **विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के व्यवसाय पर तथा विद्युत के उपभोग पर कोई विद्युत शुल्क या उपकर नहीं लगाया जाएगा।**

राज्य करों, शुल्कों, प्रशुल्कों, उपकर तथा लेवी से छूट

11. (1) निम्नलिखित पर पंजाब राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित संगत अधिनियम के तहत किसी कर, शुल्क, ड्यूटी, उपकर या किसी अन्य लेवी के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, अर्थात :

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर निर्यातित या विशेष आर्थिक क्षेत्र में आयातित कोई माल;

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर माल का कोई अंतर यूनिट लेनदेन;

(ग) मूल्यवृद्धि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को भेजा गया तथा इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में वापस आया हुआ कोई माल;

(घ) कोई सेवा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर किसी उत्पाद को मूल्यवृद्धि प्रदान करती है।

(ङ) कोई सेवा जो अधिकृत प्रचालनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक या विशेष आर्थिक क्षेत्र की किसी यूनिट को प्रदान जाती है;

(च) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि के क्रय पर स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क;

(छ) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर अचल संपत्ति के पहले अंतरण या पट्टा पर स्टांप शुल्क या पंजीकरण शुल्क। तथापि, सभी परवर्ती अंतरण या पट्टा पर स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क लगाया जा सकता है; और

(ज) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि के क्रय पर और विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर अचल संपत्ति के पहले अंतरण या पट्टा पर विशेष सुरक्षा उपकर की लेवी।

(2) इस अधिनियम के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक और विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट को कर के भुगतान से छूट सं. 5/58/2002-आईआईडी /4630; दिनांक 11 अगस्त, 2005 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पंजाब विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति के अनुसार अनुमत होगी।

(3) राज्य सरकार कर श्रम विभाग विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किसी यूनिट या स्थापना को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा।

विकास आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य

12. **(1)** विकास आयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में शामिल एजेंसियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा, उन पर नजर रखेगा तथा समन्वय करेगा।

(2) किसी पंजाब विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी कानून जो उस लागू हो, में किसी बात के निहित होते हुए भी विकास आयुक्त विकासक तथा यूनिट को अनुमोदन

या संस्वीकृति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र में एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली प्रदान की जा सके, अर्थात :

(क) श्रम कानूनों के संबंध में श्रम आयुक्त तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियां;

(ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सहमति प्रदान करने के संबंध में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां। तथापि, विकास आयुक्त पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करेगा, जहां भी वह आवश्यक समझेगा; और

(ग) पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर आयोजना तथा विकास अधिनियम, 1995 और पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियमन, 1995 के तहत मुख्य नगर योजनाकार, पंजाब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियां। तथापि, विकास आयुक्त मुख्य नगर योजनाकार, पंजाब से परामर्श करेगा, जहां भी वह आवश्यक समझेगा।

अधिभावी प्रभाव

13. इस अधिनियम के प्रावधान पंजाब राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित किए गए किसी अन्य कानून जो उस लागू हो, में इससे असंगत कोई बात निहित होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

सदाशयता में उठाए गए कदम का संरक्षण

14. किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही निहित नहीं होगी जो सदाशयता में किया जाता है या इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किए जाने के लिए आशयित है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :

15. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं होंगे, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं :

परंतु यह कि इस अधिनियम के लागू होने से 2 साल बीत जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) **इस धारा के तहत जारी किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के पटल पर रखा जाएगा।**

नियम बनाने की शक्ति :

17. (1) **सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।**

(2) **विशेष रूप से तथा पिछली शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर ऐसे नियम निम्नलिखित में से किसी या सभी के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात :**

(क) धारा 6 की उपधारा (3) के तहत टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अवधि निर्धारित करना;

(ख) **धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (छ) के तहत कार्य विहित करना; और**

(ग) **धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (क) के तहत विकास योजना तैयार करने का ढंग विहित करना।**

(3) **इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम उनके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के पटल पर रखे जाएंगे, यदि सत्र चल रहा होगा, यदि सदन नियम में कोई संशोधन करने से सहमत होगा या सदन इस बात से सहमत होगा कि नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके बाद नियम यथास्थिति केवल ऐसे संशोधित रूप में या प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि, ऐसा कोई निरसन या संशोधन उस नियम के तहत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।**

फार्म

(धारा 6(1) देखें)

सेवा में,

निदेशक,

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब,

चंडीगढ़।

विषय: विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवेदन

1	**विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक का नाम (बड़े अक्षरों में)**	**:**
2	**विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक का पूरा पता**	**:**
3	**विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक की प्रकृति (सरकारी उपक्रम / सार्वजनिक / निजी / प्रोपराइटरशिप / अन्य) (कृपया निर्दिष्ट करें)**	**:**
4	**प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम**	**:**
5	**प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रकार (बहु उत्पद्र या क्षेत्र विशिष्ट / अन्य) (कृपया निर्दिष्ट करें)**	**:**
6	**प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का लोकेशन**	**:**
7	**प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहीत या अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का विवरण और उसका मानचित्र**	**:**
8	**प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट / संभाव्यता रिपोर्ट**	**:**
9	**प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश एवं वित्त पोषण का तरीका**	**:**
10	**सृजित होने वाला रोजगार**	**:**
11	**कार्यान्वयन की अवधि**	**:**
12	**ऐसे व्यक्तियों का नाम एवं पूरा पता जिनके साथ संविदा की जानी है**	**:**
13	**कोई अन्य सूचना**	

टिप्पणी : आवेदन 20 प्रतियों में किया जाएगा।

(विकासक के हस्ताक्षर)

(रेखा मित्तल)
सचिव, पंजाब सरकार,
विधि एवं विधायी विभाग